उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-44 /2017/ 01 /92-2-2017-01जांच/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 10 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के कार्यकाल में की गयी वित्तीय अनियमितताओं एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने, शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं में लापरवाही बरतने तथा शासकीय क्षति छिपाने आदि में अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री सुरेश कुमार दीक्षित, (सेवानिवृत्त) तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के विरूद्व विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के नियम-351-ए के अंतर्गत आरोप-पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच-आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 44/2017/01(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-2648/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/च0प्र0/2016-17 दिनांक 28-12-2016 के संदर्भ में।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ को अनुमोदित आरोप पत्र की 02 प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुमोदित आरोप पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को तामील कराकर तमीली रसीद शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- श्री सुरेश कुमार दीक्षित, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड आगरा सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in